उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 46 / 2016

सुधान महतो बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
23-03-2018	**–: आदेश :–**	

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी अनुपस्थित, जिससे प्रतीत होता है कि वाद के निस्तार हेतु अपीलार्थी की रूचि उक्त दायर वाद में नही है। अतः उक्त दायर वाद में अपीलार्थी की उदासीनता को देखते हुए अभिलेख में संलग्न कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी सुधान महतो (Owner Of Tractor JH-01AQ5887 (Mahendra Tractor 265 D.I) पिता–स्व0 कार्तिक महतो, ग्राम–हुडदाग, पो0–राहवन, थाना–महुटांड, जिला–रामगढ़ द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्य सात वाद संख्या 12 / 2013 में दिनांक 19.01.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52(A) के तहत् अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन, निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख एवं संलग्न कागजातों को अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा राज्यसात वाद संख्या 12 / 2013 राज्य बनाम सुधान महतो (Owner Of without number Mahendra Tractor 265 D.I) दिनांक 19.01.2016 को पारित आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नही है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

23/3/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

23/3/18

उपायुक्त,
रामगढ़।